(नियम 26)
फर्द अहकाम
अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर
पंचायत समिति रुपवास बनाम सियाराम शर्मा वगै0
किस्म मुकदमा–प्रा0 पत्र नम्बर 38 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.25	प्रार्थी अभिभाषक श्री देवेन्द्रनाथ गुप्ता ने एक प्रार्थना पत्र उनवानी पंचायत समिति रुपवास बनाम सियाराम शर्मा वगे. बाबत उज्रदारी/पिटीशन अंतर्गत आदेश 21 नियम 58 जा.दी. अंतर्गत धारा 256, 257 एल.आर.एक्ट वअदालत जिला कलेक्टर भरतपुर व मुकदमा एलसीआर नं. 480/2006 हाल न. 1849/2014 निर्णय दिनांक 22.5.2019 एवं इजराय कार्यवाही नं. एलसीआर/02/2021 आदेश दिनांक 13.12.2022 पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में श्रीमान न्यायाधीश, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय भरतपुर द्वारा प्रकरण उनवानी सियाराम शर्मा बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति रुपवास वगै0 में पारित पंचाट दिनांक 22.5.2019 की पालना में की जा रही वसूली कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अप्रमाणित फोटो प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमान न्यायाधीश, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय भरतपुर द्वारा प्रकरण एलसीआर नं. 480/2006 हाल न. 1849/2014 उनवानी सियाराम शर्मा बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति रुपवास वगै0 में पारित पंचाट दिनांक 22.5.2019 की पालना कराये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट, भरतपुर ने प्रशासरिक कार्यवाही करते हुये तहसीलदार भरतपुर को पत्र क्रमांक/जिराले/एलआरएक्ट/वसूली/2024/137 दिनांक 03.02.24 को जारी किया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया है कि श्रीमान न्यायाधीश, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय भरतपुर द्वारा पारित उक्त पंचाट दिनांक 22.5.2019 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय राज. जयपुर में प्रकरण दायर किया हुआ है। प्रार्थी ने उक्त पंचाट दिनांक 22–5–2019 के बाबत कोई स्थगन आदेश वगै. पेश नहीं किया गया है। प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट, भरतपुर द्वारा श्रीमान न्यायाधीश, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय भरतपुर के उक्त आदेश पचांट दिनांक 22.5.2019 की पालना हेतु प्रशासनिक कार्यवाही करते हुये पत्र क्रमांक जिराले/एलआरएक्ट/वसूली/2024/137 दिनांक 03.02.24 से तहसीलदार भरतपुर को लिखा गया है। इससे जाहिर है कि उक्त वसूली सम्बन्धी प्रशासनिक कार्यवाही है। अस्तु न्यायालय क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	